

 सत्यमेव जयते	<p>भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीपज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096. टेली / Tel : 022-28294772 ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in</p>	
---	---	---

कार्यालय आदेश सं 381 /2023

विषय: सीपज़-सेज़ में सामान्य वित्तीय नियमों और कार्यों की खरीद के लिए नियमावली, जैसा भी लागू हो, की पुष्टि के साथ कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।

दिनांक 23.06.2023 के कार्यालय आदेश सं. 07/2023 के आंशिक संशोधन में, पैरा 3 और 4 के तहत समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

3. निविदा मूल्यांकन समिति/कार्य समिति

समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ द्वारा की जाएगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: -

क्रमांक	नाम	
1	संयुक्त विकास आयुक्त	- सदस्य
2	उप विकास आयुक्त	- सदस्य सचिव
3	वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीपज़-सेज़	- सदस्य
4	सहायक विकास आयुक्त (वित्त), सीपज़-सेज़	- सदस्य
5	सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन), सीपज़-सेज़	- सदस्य
6	सहायक विकास आयुक्त (सतर्कता), सीपज़-सेज़	- सदस्य
7	सहायक विकास आयुक्त (संपदा), सीपज़-सेज़	- सदस्य
8	सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा), सीपज़-सेज़	- सदस्य
9	संबंधित प्रवर श्रेणी लिपिक /सहायक	- सदस्य

समिति के कोरम के लिए कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही, अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है।

संबंधित प्रवर श्रेणी लिपिक/सहायक निविदा के संरक्षक होंगे। वह आउटसोर्स स्टाफ से आवश्यक सहयोग ले सकते हैं।

खरीद शुरू करने वाले संबंधित प्रभाग के सहायक विकास आयुक्त प्रभारी सदस्य सचिव को

उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे और उप विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में , संबंधित प्रभाग के सहायक विकास आयुक्त प्रभारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

उपरोक्त निविदा मूल्यांकन समिति किसी भी विशिष्ट बोली का मूल्यांकन और स्वीकार करने और उसे सफल बोलीदाता घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भी होगी। निविदा मूल्यांकन समिति सीपज़-सेज़ के लिए तकनीकी दस्तावेज़ीकरण एजेंसी, सीपज़ के तकनीकी डोमेन विशेषज्ञता संसाधनों द्वारा पूरक कार्य समिति; तृतीय पक्ष सत्यापन संस्थान, सीपज़ और वैधानिक अनुपालन सत्यापन एजेंसी, सीपज़ भी होगी, जैसा जहां भी आवश्यक हो। निविदा मूल्यांकन समिति सेवाओं और वस्तुओं की सभी खरीद को भी संबोधित करेगी। निविदा को प्रदान करने का आंतरिक रूप से रिकॉर्ड में मौजूद प्रक्रिया के उचित अनुपालन के साथ होगा।

सीमा शुल्क दायित्व (देयता) से जुड़े मामलों में निर्दिष्ट अधिकारी निविदा मूल्यांकन समिति का सदस्य होगा।


4. स्थानीय क्रय समिति

रु. 2,00,000/- (दो लाख रुपये) से कम अनुमानित मूल्य वाले कार्यों की खरीद तीन या अधिक ऑफ़लाइन कोटेशन आमंत्रित करके की जा सकती है। आमंत्रित कोटेशन का मूल्यांकन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा:-

क्रमांक	नाम	पद
1	संयुक्त विकास आयुक्त	- अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त, सीपज़	- सदस्य
3	वेतन एवं लेखा अधिकारी, सीपज़-सेज़	- सदस्य
4	सहायक विकास आयुक्त (वित्त), सीपज़-सेज़	- सदस्य
5	सहायक विकास आयुक्त (प्रशासन), सीपज़-सेज़	- सदस्य
6	सहायक विकास आयुक्त (सतर्कता), सीपज़-सेज़	- सदस्य
7	सहायक विकास आयुक्त (संपदा), सीपज़-सेज़	- सदस्य सचिव
8	सहायक विकास आयुक्त (सुरक्षा), सीपज़-सेज़	- सदस्य

उक्त समिति जीएफआर 2017 के संदर्भ में सभी पहलुओं की जांच करेगी और रिकॉर्ड के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कम से कम तीन सदस्यों वाली समिति के कोरम के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(सी पी एस चौहान),

संयुक्त विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज़

File No.Admin-11/7/2022-ADMIN

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/VOL-IV/12684 दिनांक : 14 .09.2023

प्रति:

1. सीपज़-सीपज़-सेज़ के सभी अधिकारी/कर्मचारी
2. विकास आयुक्त कार्यालय /संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय /उप विकास आयुक्त कार्यालय/विनिर्दिष्ट अधिकारी
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल
4. कार्यालय आदेश रजिस्टर
5. सीपज़ की वेबसाइट

 सत्यमेव जयते	भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीपज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096. टेली / Tel : 022-28294772 ई-मेल /E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Web-site : www.seepz.gov.in	
---	---	---

OFFICE ORDER No. 381 /2023

Subject : Standard Operating Procedure for Works Implementation in SEEPZ, SEZ in confirmation with General Financial Rules and Manual for Procurement of Works as applicable.

In partial modification of Office Order No. 07/2023 dated 23.06.2023, the Chairman / Members of the Committee under Para 3 & 4 stands amended as under:-

3. Tender Evaluation Committee/Works Committee

The Committee shall be chaired by the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ and shall have the following members:-

Sr. No.	Name	
1	Joint Development Commissioner	- Member
2	Deputy Development Commissioner	- Member Secretary
3	Pay & Account Officer, SEEPZ-SEZ	- Member
4	Assistant Development Commissioner (Finance), SEEPZ-SEZ	- Member
5	Assistant Development Commissioner (Admin), SEEPZ-SEZ	- Member
6	Assistant Development Commissioner (Vigilance), SEEPZ-SEZ	- Member
7	Assistant Development Commissioner (Estate), SEEPZ-SEZ	- Member
8	Assistant Development Commissioner (Security), SEEPZ-SEZ	- Member
9	Concerned UDC / Assistant	- Member

Presence of at least 50% of member will be necessary for quorum of Committee, however, the presence of Chairperson shall be mandatory.

The concerned UDC / Assistant will be the custodian of the tender. He / She may take the required support from the Outsource Staff.

The ADC I/C of the concerned division initiating the procurement shall assist the

Members Secretary in discharging his duties and in absence of DDC, the ADC i/c of the concerned division shall act as Member Secretary.

The above Tender Evaluation Committee shall also be the Competent Authority to evaluate & accept any specific bid and declare the same as successful bidder. The Tender Evaluation Committee shall also be the Works Committee for SEEPZ, SEZ supplemented by the technical domain expertise resources of the Technical Documentation Agency, SEEPZ; Third Party Validation Institute, SEEPZ and Statutory Compliance Validation Agency, SEEPZ wherever necessary. The Tender Evaluation Committee shall also address all procurements of Services and Goods. Award of contract shall be with due compliance to procedure internally on record.

The Specified Officer will be a member of the Tender Evaluation Committee in cases involving Custom duty liability.

4. *Local Purchase Committee*

The Procurement of Works with an estimate value of less than Rs. 2,00,000/- (Two Lakhs Rupees) can be done by inviting three or more offline quotations. The quotations invited shall be evaluated by the following Committee:-

Sr. No.	Name	Role
1	Joint Development Commissioner	Chairperson
2	Deputy Development Commissioner, SEEPZ	Member
3	Pay & Account Officer, SEEPZ-SEZ	Member
4	Assistant Development Commissioner (Finance), SEEPZ-SEZ	Member
5	Assistant Development Commissioner (Admin), SEEPZ-SEZ	Member
6	Assistant Development Commissioner (Vigilance), SEEPZ-SEZ	Member
7	Assistant Development Commissioner (Estate), SEEPZ-SEZ	Member Secretary
8	Assistant Development Commissioner (Security), SEEPZ-SEZ	Member

The said Committee shall examine all the aspect in terms of GFR 2017 and furnish their report for record. Presence of least 50% of the members including Chairperson will be required for quorum of Committee with at least three members present.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(C P S Chauhan)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

File No.Admin-11/7/2022-ADMIN

Copy to:

1. All Officers / Staff of SEEPZ-SEZ
2. DCO / JDCO / DDCO/SO
3. Office Order File
4. Office Order Register
5. SEEPZ Website

**Signed by Chanderpalsingh
Chauhan**

Date: 14-09-2023 13:58:17

Reason: Approved